



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1124

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41431 वर्ष 2025

लाल मोहम्मद और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदकों के अधिवक्ता: मनीष कुमार, राजीव चड्ढा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव चड्ढा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री विजेंद्र कुमार की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-

आवेदकों लाल मोहम्मद, मुबीन और सन्नी की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 25/2025, उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023, पुलिस स्टेशन देवराहट, जिला कानपुर देहात में अवर न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वे 31.7.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। उनका नाम मुख्य आरोपी चंद बाबू के इकबालिया बयान के आधार पर सामने आया। उनके खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि का एक मामला दर्ज है, जिसका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उनके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपित-आवेदकों, **लाल मोहम्मद, मुबीन और सन्नी**, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानती, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं और मुकदमे में सहयोग करेंगे।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।